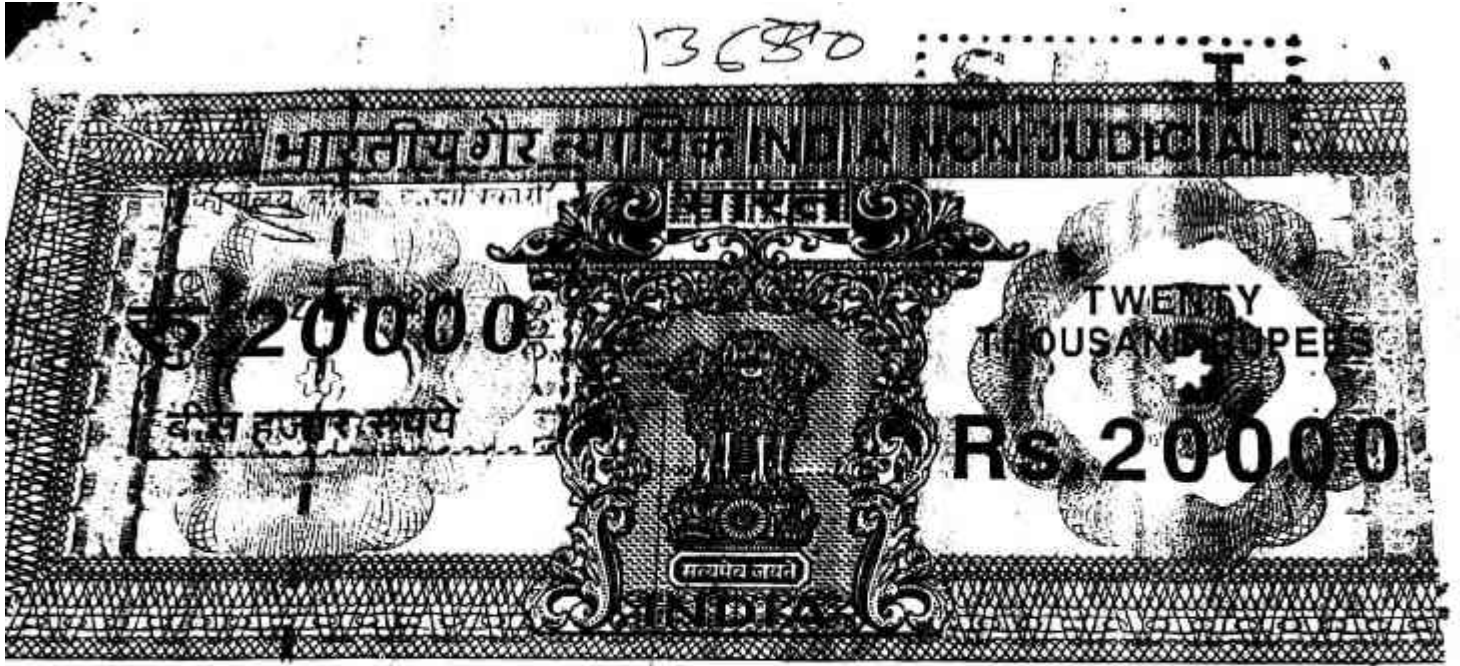




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 0361

L-23

विक्रय पत्र

- 1:- विक्रित भूमिधारी स्थित ग्राम :- अलमासपुर, बाहर हदूद,
परगना तहसील व
जिला मुजफ्फरनगर।
- 3:- सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- 0.3571 हेक्टेयर
निर्धारित दर :- 50,00,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर
- 5:- मापन की इकाई :- हेक्टेयर

[Signature]
मामद

[Signature]

[Signature]

20000/- 10000/- 11000/-

11000/-
 ए.ए.डी. डेवलपर्स प्रा. लि.
 2-12-11
 ए.ए.डी. डेवलपर्स प्रा. लि.
 द्वारा विनोद कुमार

50000/-
 0751/11

2,500,000.00/ 1,786,000.00

10,000.00 20 10,020.00 8002/12/11

प्रतिफल मासिक अली
 पुत्र श्री महफूज अली
 व्यवसाय व्यापार
 निवासी सूरज जिला मुजफ्फरनगर

ने वक्त लेखन इन कार्यालय में दिनांक 2/12/2011 समय 3:18PM

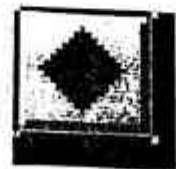
हले निवेदन हेतु पेश किया।
 معروف

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरुण कुमार उ0नि0, (शम्भू नि0लि0)
 उपनिबन्धक प्रथम
 मुजफ्फरनगर
 2/12/2011

श्री मासुफ अली
 पुत्र श्री महफूज अली
 पेशा व्यापार
 निवासी सूरज जिला मुजफ्फरनगर

श्री ए0द0ज0ड डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा विनोद कुमार
 पुत्र श्री बलवीर सिंह
 पेशा व्यापार
 निवासी 159 शास्त्री कालोनी कंकरखेडा मेरठ



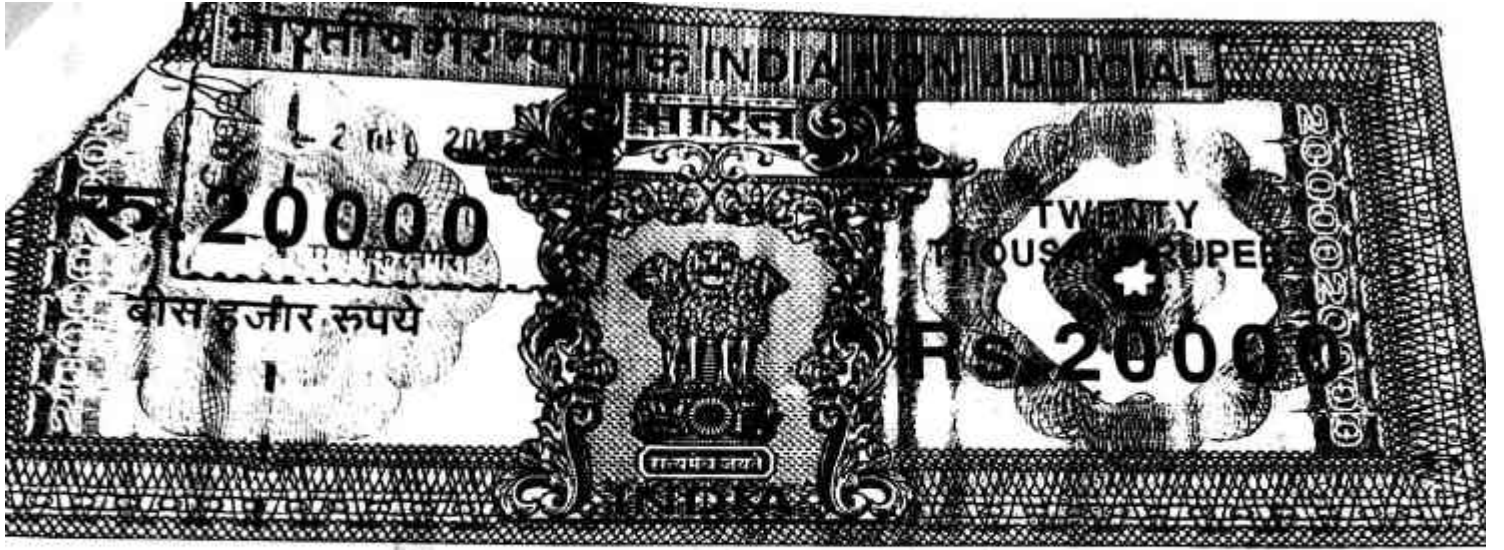
श्री ए0द0ज0ड डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा देवेन्द्र कुमार
 पुत्र श्री अतर सिंह
 पेशा व्यापार
 निवासी जदौदा जिला मुजफ्फरनगर



معروف

हिन्दू





प्रदेश UTTAR PRADESH

A 036074

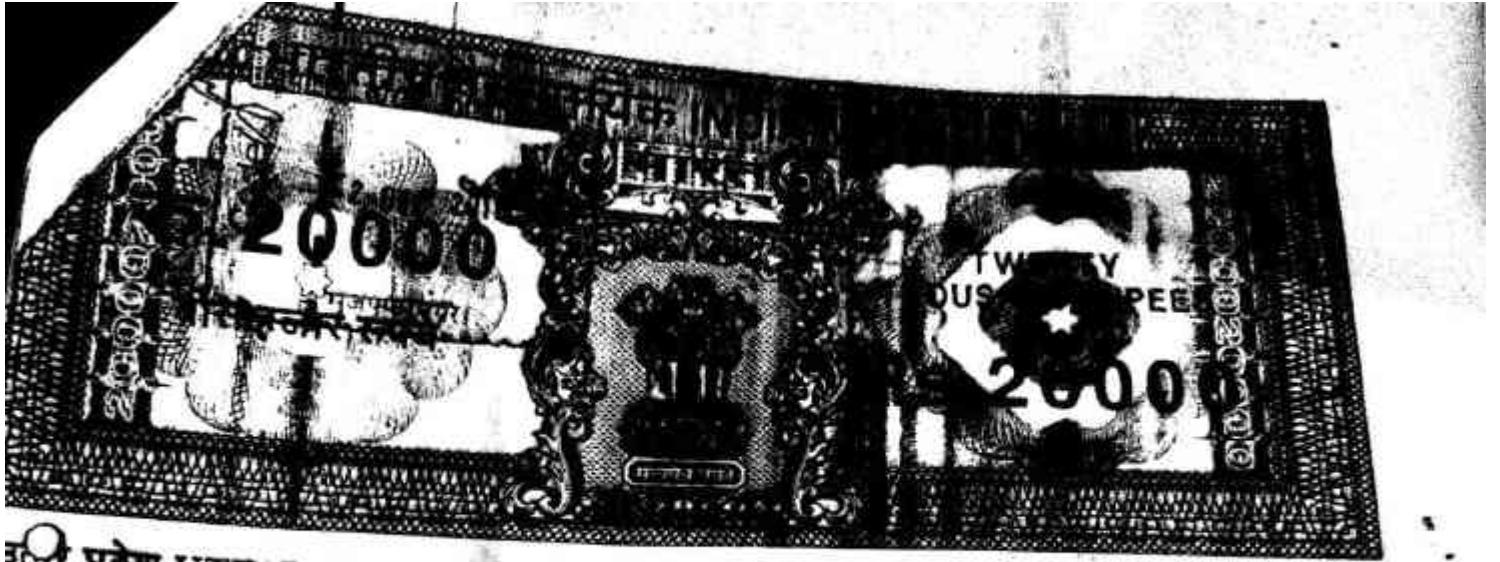
2

6:- प्रतिफल की धनराशि	:- 25,00,000/-रुपये
7:- निर्धारित दर से मालियत	:- 17,85,500/-रुपये
8:- धनराशि स्टाम्प शुल्क	:- 1,75,000/-रुपये
वक्त इकरारनामा अदा	
स्टाम्पशुल्क	:- 50,000/- रुपये
आज अदा स्टाम्प शुल्क	:- 1,25,100/- रुपये

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 036075

3

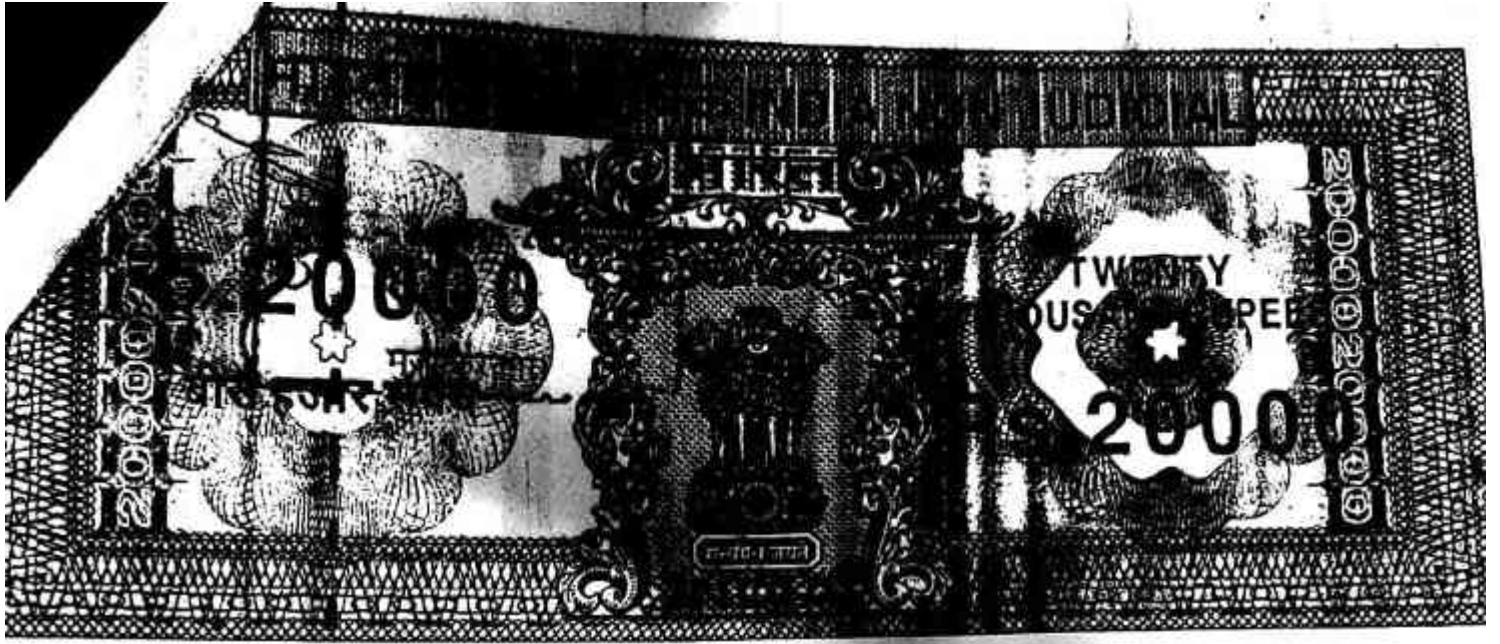
- 9:- सड़क की स्थिति :- कोई नहीं है
10:- पेड़/बोरिंग/कुआ/ अन्य
का विवरण :- कोई नहीं है

11:- विक्रेता जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है :-
मारुफ अली पुत्र श्री महफूज अली निवासी ग्राम सूजड़ परगना
तहसील व जिला मुजफ्फरनगर ।

महफूज अली

विक्रेता

महफूज अली



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 036076

12-+ क्रेता जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है :-

ए. टू. जेड . डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कम्पनी आर.
ओ. सी. कानपुर, उत्तरप्रदेश, रजिस्टर्ड आफिस के-6 पल्लवपुरम फेस 2 मेरठ
द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि विनोद कुमार पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासी 159, शास्त्री
कालौनी निकट आर्यनगर, कंकरखंडा मेरठ व देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री अतर सिंह
निवासी ग्राम जडौदा परगना तहसील व जिला मुजफ्फरनगर
जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग दि० 21-4-2010 में बैनामा निष्पादित
करने के लिये अधिकृत किया हुआ है ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

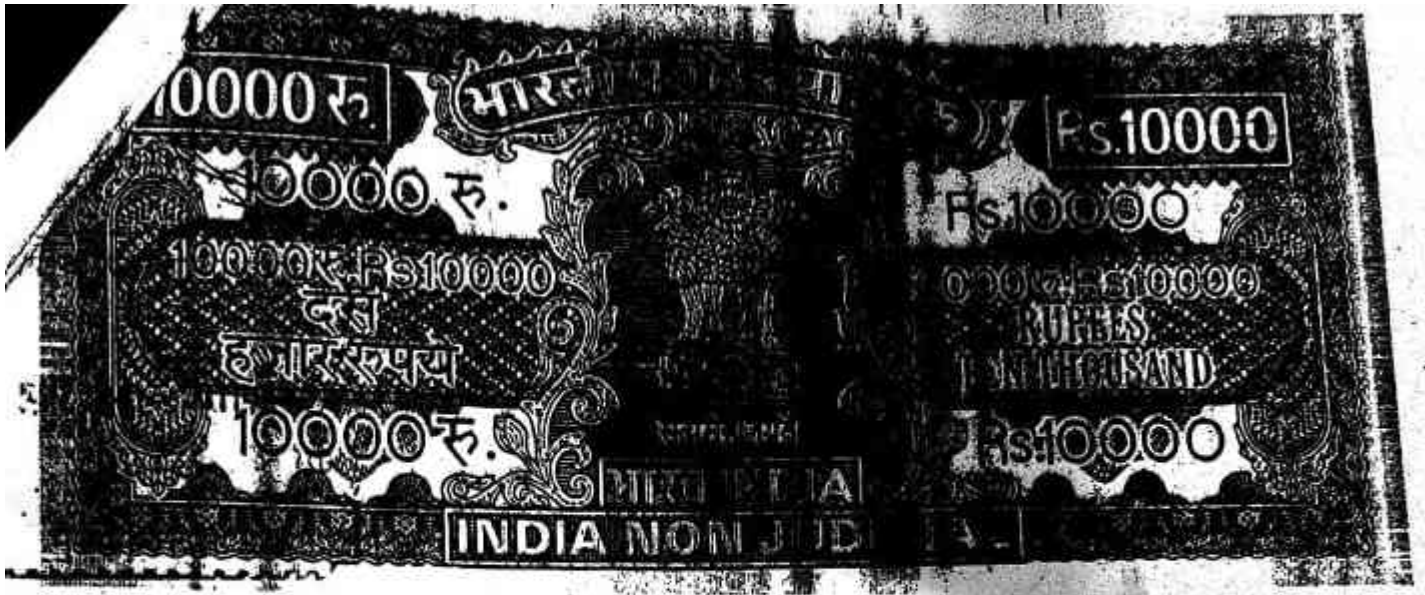


उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 036077...

5

जो कि प्रथम पक्ष सम्पत्ति जिसका विवरण निम्न लिखित है, का पूर्ण स्वामी है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार आदि से स्वच्छ एवम मुक्त है। प्रथम पक्ष को इस सम्पत्ति को विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतः हर दो पक्ष अपनी समस्त इन्द्रियों व शरीर की स्वस्थ दशा में यह विक्रय पत्र लिखकर घोषित करते हैं कि प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति उक्त लिखित समस्त अधिकारों सहित न रखने बाकी किसी भी अधिकार के बाजार भाव के मुताबिक बिल एवज मुबलिंग 25,00,000/- कि आधे जिसके मुबलिंग 12,50,000/- होते हैं बदस्त द्वितीय पक्ष बेच दी है और बैकतई कर दी है और प्रथम पक्ष ने



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

091330

6

द्वितीय पक्ष से रागरत विक्रयमूल्य में रो अंकन 75,000/- रुपये द्वारा चेक नम्बरी 636707 दिनांक 16-9-2010 ई० इलाहाबाद बैंक मेरठ कैंटोमेण्ट मेरठ वक्त इकरारनामा दिनांक 16-9-2010 ई० को प्राप्त किये हुये है व बाकी अंकन 24,25,000/- रुपये द्वारा चेक्स नम्बरी 334964 व 334965 दिनांक 15-12-2011 ई० पंजाब नेशनल बैंक मोदीपुरम मेरठ प्राप्त करके कुल विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया है, जरे कीमत में कुछ भी शेष नहीं रहा है। विक्रित सम्पत्ति जो कृषि भूमि नम्बर खसरा दो सौ इकतालीस का भाग है का कब्जा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को मय जुमला हक व हकूक के अपने तुल्य सौप दिया



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 096681

7
है । अब प्रथम पक्ष या वारसान प्रथम पक्ष का इस बेची गई सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं रहा है और न ही भविष्य में कोई वास्ता व ताल्लुक होगा । अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या प्रथम पक्ष के किसी वारिस की किसी दावेदारी से या किसी कानूनी कमी के कारण या किसी अन्य कारण से यह बेची गई सम्पत्ति द्वितीय पक्ष के कब्जे में से निकल जावे या इस पर कब्जा प्रथम पक्ष के तुल्य न मिले तो ऐसी हर दशा में द्वितीय पक्ष को हक प्राप्त होगा कि वह कब्जा स्वयं या द्वारा अदालत प्राप्त कर लेवे या वह अपना समस्त विक्रयमूल्य मय

१९९९

१९९९

१९९९



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 097403

8

हर्ज खर्चा व रिवाजी लाज सहित प्रथम पक्ष या वारसाने प्रथम पक्ष की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवे इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष या वारसाने प्रथम पक्ष का हरप्रकार का उंजर अमान्य होगा । विक्रित भूमि के सम्बन्ध मे प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के हक मे एक इकशरनामा दिनांक 16-9-2010 ई0 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक मुजफ्फरनगर मे बही नम्बर 1 की जिल्द 5771 के पेज 329-348 मे क्रमांक 10751 पर दिनांक 16-9-2010 ई0 को दर्ज है, लिखा हुआ है । विक्रित सम्पत्ति सम्बन्धित आज

विनि

मोह

पक्ष



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 097404

99

से पूर्व की तमाम देनदारियां बजिम्मा प्रथम पक्ष होगी और आज से बाद की तमाम देनदारियां बजिम्मा द्वितीय पक्ष होगी। विक्रेता अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नहीं है। विक्रित सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

भूत: यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि सनद हो और समय पर काम आवें।
उक्त भूमि कृषि भूमि है।

मोहरी

मि. नरेंद्र

मोहरी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AV 963265

10

विवरण भूमि स्थित ग्राम अलमासपुर बाहर हदूद, परगना तहसील व जिला
मुजफ्फरनगर :- भूमि खसरा नम्बर 241 मि० रकबई 1.4284 हेक्टेयर का कुल
हक व हिस्सा 1/4 भाग यानि 0.3571 हेक्टेयर ।

साक्षी

साक्षी

साक्षी

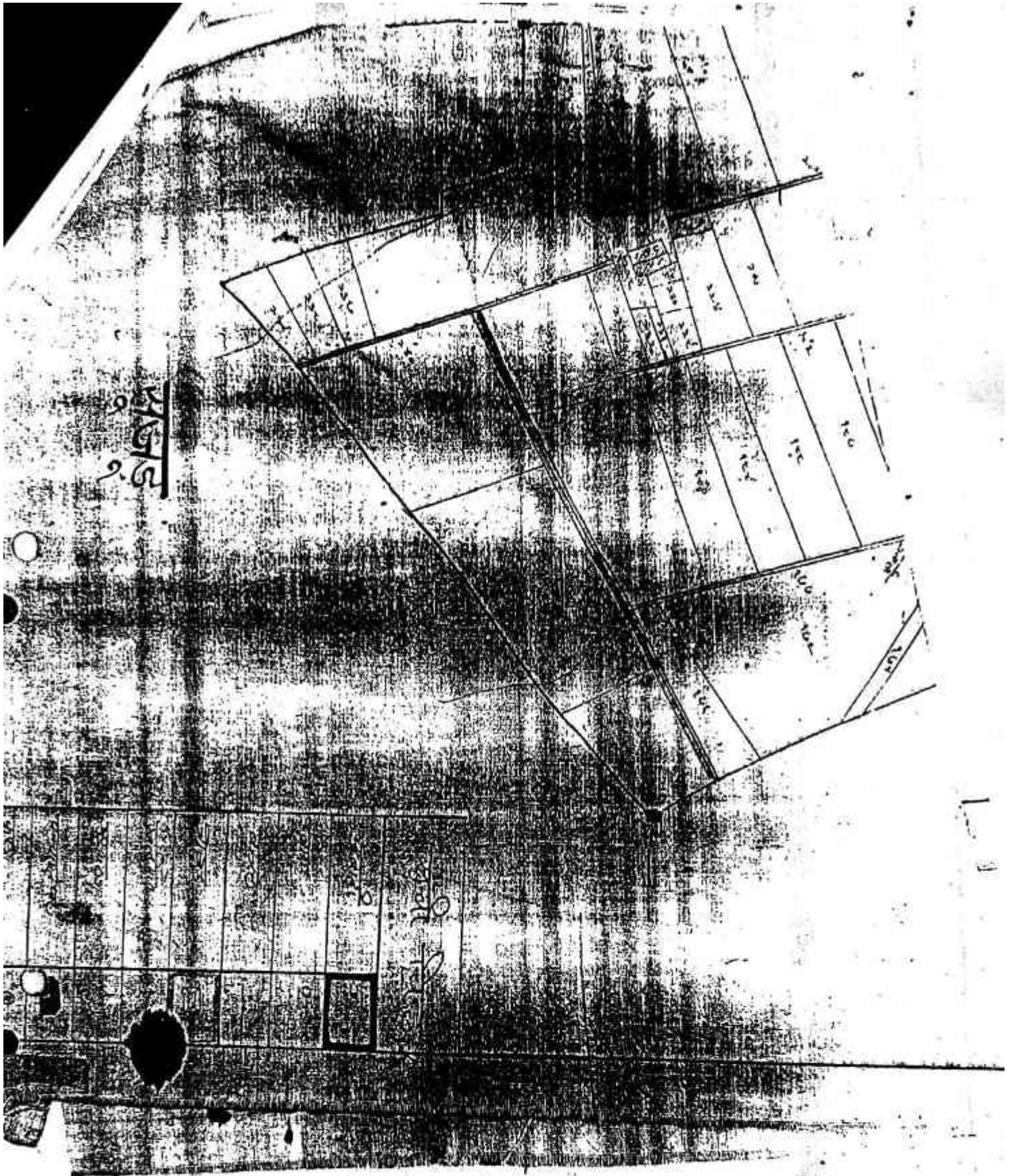
यह दस्तावेज 1/4 भाग अलमासपुर
खसरा नम्बर 241

Nafes Ahmad Bostan
Farooq Ali R/O Soojan, M. Naga

तारीख तहरीर :- 2-12-2011 ई०

डाफ्टकर्ता खैराती लाल अरोरा एडवोकेट तहसील मुजफ्फरनगर ।





موقوفہ

مستحق

مستحق

“अंगुली का प्रकार”

विनोद कुमार

	अंगुष्ठक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
					
या					

पक्षकार का नाम

विनोद कुमार

दायाँ					
बायाँ					

पक्षकार का नाम

विनोद कुमार

दायाँ					
बायाँ					

पक्षकार का नाम

दायाँ					
बायाँ					



आज दिनांक 02/12/2011 को
वही सं 1 जिल्द सं 6641
पृष्ठ सं 203 से 226 पर क्रमांक 13680
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर


अरुण कुमार उ०नि०, (शम्भू नि०लि०)

2/12/2011

